कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 3671/2019 कैलाश चन्द्र आर्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 07.11.2019 की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा–मा. /संस्था/अपील/कैलाश आर्य/3671/2019 दिनांक 29.11.2019 द्वारा श्री कैलाश चन्द्र आर्य, प्रधानाचार्य को माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यधीन राउमावि सांगानेर, जयपुर में यथावत एवं श्री राकेश कुमार शर्मा का अन्तरिम समायोजन राउमावि हरसानी, गडरा रोड जिला बाडमेर में प्रधानाचार्य के पद पर किया गया था।

हस्तगत अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2019 द्वारा आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 के सम्बन्ध में समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए नवीन आदेश प्रसारित किये जाने के निर्णय के अनुसरण में श्री राकेश कुमार शर्मा को राउमावि सांगानेर, जयपुर में एवं श्री कैलाश चन्द्र आर्य को राज्य एवं छात्र हित में **योगकाल एवं यात्रा भत्ता** अनुज्ञेय करते हुए राउमावि हरसानी जिला बाडमेर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित करें।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/कैलाश आर्य/3671/2019 दिनांकः २५-१२-१९

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/जोधपुर संभाग, जयपुर/जोधपुर ।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/बाडमेर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)